राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 21 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मुथूट हाऊसिंग फाईनेंस कम्पनी लि0, शाखा कार्यालय 1 डी 10/45 ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशापुरा एनक्लेव, चित्रकुट, जयपुर

बनाम

1. श्री राधेश्याम गाड़री पुत्र भैरू लाल गाड़री निवासी ग्राम पीपली, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती गीता गाड़री पत्नी श्री राधेश्याम गाड़री निवासी ग्राम पीपली पंचायत समिति सुवणा, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

–– प्रार्थी

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री विमलेश सैनी।

निर्णय

दिनांक : 21.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, मुथूट हाऊसिंग फाईनेंस कम्पनी लि0, शाखा कार्यालय 1 डी 10/45 ग्राउण्ड फ्लोर, श्री आशापुरा एनक्लेव, चित्रकुट, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 7,31,515/– रूपये का ऋण दिनांक 19.06.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – भूखण्ड पट्टा संख्या 16, ग्राम पीपली पंचायत समति सुवाणा, तहसील हमीरगढ़ जिसका कुल क्षेत्रफल 1891 वर्ग फीट है (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 19.05.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 8,91,946/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 19.05.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।